भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1571

दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध और किसानों की आमदनी का नुकसान

1571. सुश्री प्रणिती सुशील कुमार शिंदेः

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत पांच वर्षों के दौरान प्याज पर कब-कब निर्यात प्रतिबंध, न्यूनतम निर्यात मूल्य अथवा शुल्क लगाया गया और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन प्रतिबंधों के कारण नन्दुरबार, सोलापुर और सांगली में किसानों की आय में हुए, नुकसान का कोई आकलन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का प्याज के लिए एक दीर्घकालिक और स्थिर निर्यात नीति बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मूल्य स्थिरता और किसानों को उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के लिए किसी बफर स्टॉक अथवा प्रोत्साहन तंत्र संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) जी हां, सरकार पूरे देश में प्याज की उपलब्धता, आवक, बफर स्टॉक की स्थिति और कीमतों के रुझानों पर लगातार निगरानी करती है। जब भी घरेलू आपूर्ति पर दबाव के संकेत दिखाई दिए है, कैलिब्रेटेड और अस्थायी व्यापार नीति उपाय- जैसे कि न्यूनतम

निर्यात मूल्य (एमईपी), निर्यात शुल्क, या अस्थायी निर्यात प्रतिबंध - पूरी तरह से सार्वजनिक हित में लगाए गए हैं।

ये कदम उपभोक्ताओं, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे, क्योंकि उन वर्षों के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति और कम आवक की वजह से खुदरा कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई थी। ये सभी उपाय समय-सीमा वाले, पारदर्शी थे और घरेलू उपलब्धता स्थिर होते ही इन्हें तुरंत वापस ले लिया गया था।

साथ ही, सरकार ने जब भी घरेलू स्थिति अनुकूल रही, लगातार निर्यात को बढ़ावा दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए किफायती और किसानों के लिए लाभकारी कीमतों में संतुलन बनाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्याज के लिए प्रमुख निर्यात नीति संबंधी मध्यस्थता डीजीएफटी और सीबीआइसी के माध्यम से राजस्व विभाग की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।

(ख) ध्यान देने योग्य तथ्य यह हैं कि कृषि उत्पादों की बाज़ार कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें आवक, भंडारण के तरीके, व्यापारियों का व्यवहार, गुणवत्ता भिन्नता और वैश्विक मूल्य चक्र शामिल हैं। इसलिए, किसी खास मंडी में कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को पूरी तरह से निर्यात नीति के फैसलों से जोड़ना अनुभव के आधार पर सही नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, कीमतों में कमी के समय, सरकार ने किसानों की सहायता और मजबूरी में बिक्री को रोकने के लिए नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से सक्रिय रूप से प्याज की खरीद की है, जिससे उन्हें अच्छा लाभ सुनिश्चित हो सके।

(ग) सरकार निम्नलिखित स्तंभों के आधार पर प्याज व्यापार के लिए एक स्थिर और अनुमान योग्य दृष्टिकोण अपनाती है:

- **सक्रिय निगरानी**: रकबा, आवक, थोक और खुदरा कीमतों की निरंतर निगरानी।
- **साक्ष्य-आधारित नीति**: केवल घरेलू मूल्य वृद्धि की असाधारण परिस्थितियों के दौरान अस्थायी निर्यात मध्यस्थता।

- **तत्काल परिवर्तन**: जैसे ही घरेलू कीमतें कम होती हैं, किसानों और निर्यातकों को सहायता देने के लिए प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं।
- **बुनियादी संरचना को मजबूत करना**: एनएचबी और अन्य स्कीमों के तहत भंडारण, विकिरण, पैकहाउस और लॉजिस्टिक्स रसद में बड़े निवेश।

यह संतुलित ढांचा उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता और किसानों के लिए बाजार के अवसरों, दोनों को सुनिश्चित करता है, और पिछले कई वर्षों में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है।

(घ) सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए हैं:

1. प्याज बफर का निर्माण: मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत, सरकार हर साल प्याज का एक बड़ा बफर बनाती है। नेफेड और एनसीसीएफ बाज़ार-आधारित और किसानों के अनुकूल कीमतों पर महाराष्ट्र सहित प्रमुख उत्पादक राज्यों से प्याज खरीदते हैं।

2. किसानों को सहायता देने के लिए खरीद: बफर खरीद चरम आगमन के मौसम के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति को खपाने कीमतों के भारी गिरावट को रोका, किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने और आवश्यकता पड़ने पर सुनिश्चित कुल खरीद की गारंटी देने में मदद करती है।

3. उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए बाजार रिलीज: बुफर को खुदरा दुकानों, राज्य सरकारों और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से जारी किया जाता है ताकि जब भी आवश्यक हो खुदरा कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।

4. बुनियादी ढांचे का विकास: सरकार फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक प्याज भंडारण संरचनाओं, वैज्ञानिक उपचार, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग सुविधाओं, कोल्ड-चेन बुनियादी संरचना और मूल्य-वर्धन इकाइयों को बढ़ावा दे रही है।

5. निर्यात सुविधा: जब भी घरेलू उपलब्धता अच्छी स्थिति में होती है, तो बेहतर लॉजिस्टिक्स, जीआई टैगिंग और ब्रांडिंग पहल, और एपीडा के माध्यम से बाजार पहुंच की सहायता देकर निर्यात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

***